# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/23

दायर तारीख 11.08.2023
निर्णय तारीख 04.09.2025

अनवानः—

1. श्रीमती होमली पत्नी स्व. नानीया मीणा नि. भुंवाली तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती सवली पुत्री स्व. नानीया मीणा नि. भुंवाली तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती वागली पुत्री स्व. नानीया मीणा नि. भुंवाली तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती हन्तोक पुत्री स्व. नानीया मीणा नि. भुंवाली तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती बदी पुत्री स्व. नानीया मीणा नि. भुंवाली तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर (राज.)

**अपीलार्थी**

**बनाम**

1. श्री हांजा पिता स्व. नानीया मीणा नि. भूवाली तहसील पाल देवल जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पालदेवल जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सरपंच ग्राम पंचायत पालबवडा तहसील पालदेवल जिला डूंगरपुर (राज.)

**रेस्पोडेंट**

**अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 152 ग्राम भूवाली**
**अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट**

उपस्थितिः—

1. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता, —अपीलार्थी
2. पेरोकार सरकार

## निर्णय

**दिनांक 04.09.2025**

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील मय अवधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम भुवाली के खाता संख्या 100 में किता 12 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के पति/पिता श्री नानीया पिता जेता मीणा के नाम दर्ज थीं । श्री ननीया के स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुत्र के अकेले के नाम पर नामान्तरकरण खोला गया जबकि अपीलार्थी संख्या 1 पत्नी एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 5 पुत्रियां होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ ही स्व. ननीया की वारीसान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 द्वारा अपीलार्थीगण को सुने बगैर एवं सभी वारिसान की जॉच किया बिना ही नामान्तरकरण दायर तथा स्वीकृत कियागया है जो नियमों के विरूद्ध होकर अपास्त योग्य है जिससे अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त किया जावे एवं स्व. नानीया के सभी वारिसान अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर नवीन नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया जावे।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बावजुद तामील नोटिस उपस्थित नही हुये जिससे उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को सुना गया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भूवाली के

उपखण्ड अधिकारी

खातेदार श्री नानीया पिता जेता मीणा के नाम पर खाता संख्या 100 में कित 12 रकबा 14 बिघा 17 बिस्वा भूमि जमाबंदी संवत 2069–72 में श्री नानीया पिता जेता के नाम दर्ज थी। श्री नानीया का स्वर्गवास हो गया है। अपीलार्थी संख्या 1 स्वः नानीया की पत्नी है तथा 2 से 5 पुत्रिया है एवं रेस्पोडेट संख्या 1 पुत्र है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 152 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अकेले के नाम पर दायर कर स्वीकृत किया गया है जो त्रुटीपूर्ण है। नामान्तकरण दायर करने एवं स्वीकृत करने के पूर्व सभी वारीसान की जॉच नही की गई है एवं नही उन्हे सुना गया है । नामान्तरकरण अपीलार्थी की पीठ के पिछे दायर एवं स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थीगण के पति व पिता की ग्राम गददुना में स्थित भूमि बाबत् अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अंकित है किन्तु ग्राम भुवाली में नाम दर्ज नही कर त्रुटी की है। ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्रामीणों ने स्व. नानीया के वारिसान अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेनट संख्या 1 के होना माना है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। अतः प्रस्तुत अपील को अवधि में शुमार करते हुये स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने एवं अपीलार्थीगण तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नवीन नामान्तरकरण दर्ज करने तहसीलदार पालदेवल को आदेश प्रदान करावे। पेरोकार सरकार ने इसमें आपत्ति जाहीर नही की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलार्थीगण की अपील प्रस्ततिकरण में हुई देरी की अवधि को प्रार्थना अनुसार कन्डोन की जाकर श्रंवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं पत्रावली में उपलब्ध कागजात अनुसार अपील में वर्णित तथ्य सही होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण 152 ग्राम भुवाली तहसील पालदेवल को अपास्त (निरस्त) किया जाता है। तहसीलदार पालदेवल को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक के नाम पर वर्तमान खाता भूमि अनुसार नवीन नामान्तरकरण दायर किया जाकर कर विधि अनुसार स्वीकृत किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार पालदेवल को लिखा जावे । पत्रावली फैसल में शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर